न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2019/101

1 आत्माराम

2 धर्मपाल

3 देवाराम पुत्रगण कपूराराम जाति सुथार निवासी नथोर हाल जैतपरु तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1 श्री नेतराम सियाग वकील प्रार्थी

2 पैरोकार राज

–:निर्णय:–

उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

दिनांक :– 24.07.2018

1. संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम ग्राम जैतपुर तहसील लूनकरणर के खसरा नम्बर 1296 रकबा 9 बीघा, ख.नं. 1313 रकबा 22 बीघा, कुल 31 बीघा जमाबंदी सम्वत 2045 से पूर्व प्रार्थीगण के पिता का नाम कपूराराम दर्ज रिकॉर्ड था। संवत 2045 की जमाबन्दी के बाद प्रार्थीगण के पिता का नाम नाथूराम दर्ज कर दिया गया एवं देवाराम के स्थान पर देदाराम दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार उक्त भूमि खसरा नं. 1313 की तादादी 22 बीघा भूमि के स्थान पर खसरा नं. 1312 कर दिया गया है। उक्त इन्द्राज लिपिकिय भूलवश हुआ है। उक्त रकबा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2025–28 खाता संख्या 284 में जरिये

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

नामान्तरण संख्या 65 पर जरिये बैयनामा का अंकन नहीं किया गया है। जमाबन्दी संवत 2037–2040 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश गलत इन्द्राज किये गये है जो राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड की धारा 136 के तहत दुरूस्ती योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम नथूराम के स्थान पर कपूराराम तथा देदाराम के स्थान पर देवारमा खसरा नंबर 1312 के स्थान पर 1313 की शुद्धि के आदेश फरमावें।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2025–28 खाता संख्या 284 में जरिये नामान्तरण संख़्या 65 पर जरिये बैयनामा का अंकन नहीं किया गया है। जमाबन्दी संवत 2037–2040 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश गलत इन्द्राज किये गये है जो राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड की धारा 136 के तहत दुरूस्ती योग्य है।
2. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2025–2028 जमाबन्दी 2037–2040 जमाबन्दी संवत 2042–2045 व 2046–2049 की प्रमाणित प्रतियां एवं जमाबन्दी वर्तमान संवत 2073–2076 की प्रमाणित प्रति पेश की । बैयनाम की छायाप्रति पेश की। नकल निर्वाचन सूची हरियाणा राज्य वर्ष 1989 के भाग संख्या 139 की छायाप्रतियां पेश की।

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संलग्न प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार मय अनुशंषा व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के पिता का नाम नामान्तरण संख्या 65 जो बैयनामा के स्थान पर रिकॉर्ड में अंकन किया गया है में पिता का नाम कपूराराम अंकित है तथा देदाराम के स्थान पर देवाराम वास्तविक नाम अंकित है। इसके अलावा खसरा नं. भी 1313 का अंकन है। जमाबन्दी संवत 2046–2049 में प्रार्थीगण के पिता का नाम नथूराम दर्ज कर दिया गया है तथा देवाराम के स्थान पर देदाराम अंकित हो रखा है। इसी प्रकार 1313 के स्थान पर 1312 अंकन हुआ है। उक्त तीनों त्रुटियां जमाबन्दी संवत 2046–2049 तैयार करते समय लिपिकीय

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

भूलवश अंकित होनी प्रतीत होती है जो एलआर एक्ट की धारा 136 के तहत दुरूस्ती योग्य है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूनकरनसर को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी 2073–2076 में प्रार्थीगण के पिता का नाम नथूराम के स्थान पर कपूराराम तथा प्रार्थीसंख्या 3 का देदाराम के स्थान पर देवाराम तथा खसरा संख्या 1312 के स्थान पर 1313 दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 24.07.2019 को आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

24/7/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner